ओवरव्यू

इस प्रतिवेदन में परिहार्य व्यय, नियमों, डायरेक्टिवज तथा प्रक्रियाओं का पालन न करने, वित्तीय हितों को सुरक्षित न करने इत्यादि से संबंधित ₹ 126.45 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से आवेष्टित 'राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना' तथा 'हरियाणा राज्य वेयरहाउसिंग निगम' पर दो निष्पादन लेखापरीक्षाओं सहित 12 अनुच्छेद शामिल हैं। कुछ मुख्य परिणाम नीचे उल्लिखित हैं:

1 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बारे में

हरियाणा राज्य में 24 कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.) (22 कंपनियां तथा दो सांविधिक निगम) और सात अकार्यरत कंपनियां थी जिनमें 35,577 कर्मचारी नियुक्त थे। 31 मार्च 2013 को 31 सा.क्षे.उ. में निवेश (पूंजीगत एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 35,778.36 करोड़ था। राज्य सा.क्षे.उ. के कुल निवेश का 99.61 प्रतिशत कार्यरत सा.क्षे.उ. में था तथा शेष 0.39 प्रतिशत अकार्यरत सा.क्षे.उ. में था। कुल निवेश में पूंजीगत का 23.89 प्रतिशत तथा दीर्घ अवधि ऋणों का 76.11 प्रतिशत शामिल था। इक्विटी 2008-09 में ₹ 5,962.15 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 8,546.45 करोड़ हो गई। 2012-13 में कुल निवेश का 91.38 प्रतिशत से अधिक विद्युत क्षेत्र में किया गया। राज्य सरकार ने 2012-13 के दौरान 13 सा.क्षे.उ. में इक्विटी, ऋणों एवं अनुदानों/परिदानों के लिए ₹ 10,519.62 करोड़ का अंशदान दिया।

(अनुच्छेद 1.1, 1.3 तथा 1.4)

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का निष्पादन

23 कार्यरत सा.क्षे.उ., जिनके लेखे सितंबर 2013 तक प्राप्त किए गए थे, में से 15 सा.क्षे.उ. ने ₹ 292.35 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा आठ सा.क्षे.उ. ने ₹ 10,120.57 करोड़ की हानियां उठाई। ₹ 292.35 करोड़ का लाभ अर्जित करने वाले 15 सा.क्षे.उ. में से केवल चार सा.क्षे.उ.[1] ने ₹ 6.60 करोड़ का लाभांश घोषित किया।

(अनुच्छेद 1.6)

लेखाओं के अंतिमकरण में बकाया

सितंबर 2013 को 19 कार्यरत सा.क्षे.उ. के 34 लेखे बकाया थे। लेखाओं तथा उनकी अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि किए गए निवेश और व्यय उचित रूप से परिगणित किए गए हैं तथा वह प्रयोजन जिसके लिए राशि निवेश की गई थी, प्राप्त किया गया है अथवा नहीं। इस प्रकार, ऐसे सा.क्षे.उ. में सरकारी निवेश राज्य विधान सभा की जांच से बाहर रहता है।

(अनुच्छेद 1.7)

[1] हरियाणा राज्य वेयरहाउसिंग निगम, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड तथा हरियाणा राज्य इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम लिमिटेड।

2 सरकारी कंपनियों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में 'राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना' से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी। लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए महत्वपूर्ण परिणाम निम्नानुसार हैं:

ग्रामीण विद्युत (आर.ई.) योजना, जो आर.ई. नीति की अधिसूचना (अगस्त 2006) के छः माह के भीतर अधिसूचित की जानी थी, 58 माह की देरी के साथ अधिसूचित की गई थी। आर.ई. योजना त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि लोड का अनुमान वास्तविक नहीं था तथा अतिरिक्त लोड को पूरा करने के लिए विद्युत आवश्यकता अनुमानित नहीं की गई थी।

(अनुच्छेद 2.1.5.1 तथा 2.1.5.2)

21 परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टस (डी.पी.आरज) अनुमोदित करने में 12 से 920 दिनों का समय लिया गया था। डी.पी.आरज वास्तविक रूट-सर्वे के बिना तैयार किए गए थे। ₹ 8.27 करोड़ मूल्य के वितरण ट्रांसफार्मर (डी.टीज) मीटर ऊर्जा लेखापरीक्षा करने के लिए प्रयुक्त नहीं किए गए थे।

(अनुच्छेद 2.1.5.3 से 2.1.5.5)

उ.ह.बि.वि.नि.लि. ने कैश क्रेडिट अकाऊंटस से ₹ 43.20 करोड़ खर्च किए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.44 करोड़ का अनुचित ब्याज वहन करना पड़ा। द.ह.बि.वि.नि.लि. ने ₹ 59.96 करोड़ की स्कीम निधियां एक प्राईवेट बैंक में रखी।

(अनुच्छेद 2.1.6)

डिस्कोमज ने, ₹ 200.22 करोड़ की आर.ई.सी. द्वारा संस्वीकृत लागत के विरूद्ध ₹ 259 करोड़ के ठेके दिए तथा अतिरिक्त वित्तीय भार वहन किया। उ.ह.बि.वि.नि.लि. के ठेकेदारों ने स्थल पर अधिक सामग्री लाकर ₹ 15.36 करोड़ के अधिक भुगतान प्राप्त किए।

(अनुच्छेद 2.1.7.1 तथा 2.1.7.4)

उ.ह.बि.वि.नि.लि. की आठ परियोजनाएं सात से 67 माह तथा द.ह.बि.वि.नि.लि. की छः परियोजनाएं 10 से 28 माह की अवधि हेतु विलंबित थी जो क्रमशः 12 माह तथा नौ माह की पूर्णता अवधि के विरूद्ध थीं।

(अनुच्छेद 2.1.7.3)

उ.ह.बि.वि.नि.लि. ने 10वीं तथा 11वीं योजना अवधियों में बी.पी.एल. परिवारों को कनैक्शन जारी करने के अपने लक्ष्य का क्रमशः 66.03 प्रतिशत तथा 75.83 प्रतिशत ही उपलब्धि की। द.ह.बि.वि.नि.लि. ने 11वीं योजना फेस-I के पूर्ण लक्ष्य प्राप्त किए थे किंतु फेस-II परियोजनाओं के लिए कोई उपलब्धि नहीं थी।

(अनुच्छेद 2.1.8.2)

2.2 सांविधिक निगम से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा

हरियाणा राज्य वेयरहाउसिंग निगम' से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा की गई लेखापरीक्षा के दौरान अवलोकित परिणाम निम्नवत् थे:

निगम ने 2009-10 से 2011-12 के दौरान लाभ अर्जित किया तथा 2008-09 में ₹ 10.97 करोड़ एवं 2012-13 में ₹ 138.51 करोड़ राशि की हानियां उठाई। 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान पूंजीगत व्यय में कमी हुई थी।

(अनुच्छेद 2.2.6.1 तथा 2.2.6.2)

निगम ने अपने लेखे, स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों/मानकों के अनुसार तैयार नहीं किए थे। एफ.सी.आई. के साथ लेखाओं की पुष्टि एवं मिलान न करने के परिणामस्वरूप प्रमुख सौदे 15 वर्षो से अधिक समय से बकाया थे। 2008-09 से गेहूं और गनी बैगज के समापन स्टॉकस के भौतिक शेषों के साथ मिलान नहीं किए गए थे।

(अनुच्छेद 2.2.6.1)

31 मार्च 2013 को भण्डारण शुल्क के लिए विभिन्न सरकारी/सरकारी स्वामित्व वाली एजेंसियों से ₹ 40.56 करोड़ वसूलनीय थे, जिसमें ₹ 21.42 करोड़ 1986-87 से 2007-08 तक की अवधि से संबंधित थे।

(अनुच्छेद 2.2.8.1)

निगम ने 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान 47 गोदामों की रूफिंग के लिए गॉलवाल्यूम शीटों की आपूर्ति तथा इरेक्शन के लिए कान्ट्रैक्ट देने में, एक विशिष्ट ग्रेड एवं ब्रांड चयन करके, वित्तीय बोलियों के खोलने का शैडयूल, परिमात्रा तथा भुगतान का शैडयूल परिवर्तित करके एन.आई.टी. की शर्तो का उल्लंघन किया। कार्य आदेशों के प्रावधानों के अनुसार 2008-09 से 2012-13 के दौरान कार्यों की विलम्बित पूर्ति के लिए ठेकेदारों पर ₹ 7.74 करोड़ की पेनल्टी उद्गृहीत नहीं की गई।

(अनुच्छेद 2.2.9.2, 2.2.9.3 तथा 2.2.9.7)

2008-09 से 2011-12 के दौरान धान के संबंध में प्रापण लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी 21 प्रतिशत तथा 62 प्रतिशत के मध्य थी। निगम ने बाढ़ और वर्षा के कारण स्टॉक खराब होने से ₹ 6.64 करोड़ मूल्य की हानि उठाई।

(अनुच्छेद 2.2.11.6 तथा 2.2.11.7)

आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं, निगम की गतिविधियों के आकार तथा प्रकृति के अनुरूप नहीं थी।

(अनुच्छेद 2.2.13.1)

3 लेन-देनों की लेखापरीक्षा

प्रतिवेदन में शामिल लेन-देनों की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां राज्य सरकार की कंपनियों के प्रबंधन में हुई त्रुटियों को रेखांकित करती हैं, जिनमें गंभीर वित्तीय इंपलीकेशनस थी। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का सार नीचे दिया गया है:

हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

साइड एग्रीमेंट के क्रियान्वयन में देरी के कारण कोयले की दुबारा बुकिंग में ₹ 3.07 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 3.1)

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

निम्नतम दरों की उपेक्षा करके दुबारा टेंडर के लिए हाई पावर परचेज कमेटी के निर्णय के परिणामस्वरूप ₹ 6.36 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 3.2)

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

बकाया देय अप्रैल 2008 में ₹ 1,406.32 करोड़ से बढ़कर मार्च 2013 में ₹ 2,532.36 करोड़ हो गए। ₹ 721.56 करोड़ की अग्रिम खपत जमा जनवरी 2014 को उपभोक्ताओं के विरूद्ध अभी प्रस्तुत नहीं की गई थी। कनेक्टिड चूककर्ताओं की संख्या 2008-09 में कुल उपभोक्ताओं के 17.57 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 18.39 प्रतिशत हो गई थी। चोरी के मामलों में कंपनी ने ₹ 11.78 करोड़ के विरूद्ध ₹ 6.17 करोड़ के जुर्माने की वसूली की।

(अनुच्छेद 3.4)

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

₹ 1,050.10 करोड़ की माफी के विरूद्ध, राज्य सरकार ने केवल ₹ 532.05 करोड़ डिस्कोमज को सबसिडी के रूप में निर्मुक्त किए। दो चयनित आपरेशन सर्कलज में ₹ 32.74 करोड़ की देय राशि वाले 7,081 घरेलू उपभोक्ताओं ने न तो स्कीम का विकल्प लिया था और न ही डिस्कोमज ने कोडल प्रावधानों के अंतर्गत उनके विरूद्ध कोई कार्रवाई की थी। उपभोक्ताओं, जिन्होंने स्कीम में शामिल होने के बाद भुगतान करना बंद कर दिया था, की देय राशि ₹ 11.37 करोड़ (जून 2005) से बढ़कर ₹ 77.36 करोड़ (दिसंबर 2012) हो गई थी।

(अनुच्छेद 3.5)

हरियाणा राज्य इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम लिमिटेड

तुरंत आवश्यकता निर्धारित किए बिना साफ्टवेयर/सैप लाईसैंस की खरीद पर ₹ 93.79 लाख का व्यय किया गया। कंपनी ने 2008-13 के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के लिए सरकारी विभागों से ₹ 111.53 करोड़ की निधियों के विरूद्ध ₹ 29.86 करोड़ का उपयोग किया। कंपनी ने चुनाव विभाग के लिए इलैक्टोरेट फोटो पहचान-पत्रों की अधिक इनवायसिंग के कारण ₹ 57.24 लाख का अधिक आयकर और ₹ 6.99 लाख के केंद्रीय बिक्रीकर का भुगतान किया।

(अनुच्छेद 3.9)

हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड

चार नमूना-जांच किए गए जिला कार्यालयों में ₹ 4.58 करोड़ (95 मामले) के संस्वीकृत ऋण के विरूद्ध, ₹ 1.24 करोड़ मूल्य के वाहन (26 मामले) वाणिज्यिक वाहनों के रूप में पंजीकृत किए गए। ₹ 73.52 करोड़ की वसूलनीय राशि के विरूद्ध, मार्च 2013 तक ₹ 69.12 करोड़ की राशि वसूल नहीं की गई। अप्रैल 2008 से मार्च 2013 तक मुख्य कार्यालय/जिला कार्यालयों की कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई।

(अनुच्छेद 3.10)